

प्रपत्र-50

परियोजना का नाम-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदर्सू मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.61 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है-

1. ईको क्लास श्रेणी	-	IIIrd
2. हरियाली का घनत्व	-	0.3
3. एन०पी०वी० की दर प्रति है०	-	626000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	1.61
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि-	-	₹ 1007860.00

(दस लाख सात हजार आठ सौ साठ रुपये मात्र)


 जय प्रभासोय नगराधिकारी
 देहरादून नगर प्रभाग
 काशी


 प्रभासोय नगराधिकारी
 प्रभासोय नगराधिकारी
 काशी नगर प्रभाग
 काशी नगर प्रभाग
 काशी नगर प्रभाग

परियोजना का नाम - मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदसू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई- 4.00 किमी0)

एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढी हुई धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून




सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून